RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

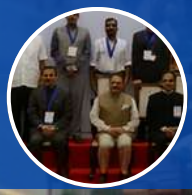

DATE
अगस्त
16
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 / The Uttarakhand Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2025

संदर्भ:

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने *उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025* को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर किए गए धार्मिक परिवर्तन पर कड़ी सज़ाएं लागू की जाएंगी। नए संशोधनों में आजीवन कारावास, भारी जुर्माना और अवैध धर्मांतरण के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सशक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधान-

डिजिटल प्रचार पर प्रतिबंध:

- सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्म परिवर्तन को **प्रोत्साहित करने या उकसाने** पर प्रतिबंध।
- ऐसा करना **दंडनीय अपराध** माना जाएगा।

प्रलोभन की विस्तारित परिभाषा:

- अब इसमें उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, नि:शुल्क शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना या अन्य धर्म की महिमा गान शामिल हैं।
- इन सभी को **अपराध** की श्रेणी में रखा गया है।

कड़ी सज़ाएं:

- **सामान्य उल्लंघन**: 3-10 वर्ष कारावास
- **संवेदनशील वर्ग से जुड़े मामले**: 5-14 वर्ष कारावास
- **गंभीर अपराध**: 20 वर्ष से आजीवन कारावास + भारी जुर्माना

विवाह संबंधी प्रावधान:

- **झूठी पहचान** या **धर्म छिपाकर विवाह** करने पर दंड।

राज्य सरकार के अनुसार कानून का उद्देश्य:

- नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना।
- धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना।
- सामाजिक सद्भाव बनाए रखना।

पीड़ित सहायता:

- **चिकित्सा, यात्रा, पुनर्वास** और **भरण-पोषण** का खर्च प्रदान करना।

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 – पक्ष और विपक्ष के तर्क-

विधेयक के खिलाफ तर्क:

संवैधानिक चिंताएं

- यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त **धर्म की स्वतंत्रता** और **गोपनीयता के अधिकार** का उल्लंघन करता है।

परिभाषाओं में अस्पष्टता

- "प्रलोभन" की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे **मनमाने ढंग से व्याख्या** और **कानून के दुरुपयोग** की संभावना है।

अंतरधार्मिक संबंधों पर प्रभाव: विशेषकर **हिंदू-मुस्लिम जोड़ों** को निशाना बनाने के लिए इसका दुरुपयोग हो सकता है, जहां एक पक्ष पर ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया जा सकता है।

सामाजिक ध्रुवीकरण: ऐसे कानूनों से **सामाजिक तनाव बढ़ने** और समुदायों के बीच **धार्मिक आधार पर विभाजन** गहराने का खतरा है।

विधेयक के पक्ष में तर्क

जबरन धर्म परिवर्तन की रोकथाम

- इसका मुख्य उद्देश्य **जबरदस्ती किए गए धर्म परिवर्तन** को रोकना है, जो विशेषकर महिलाओं और **वंचित वर्गों** को निशाना बनाते हैं।
- यह उनके अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करता है।

सामाजिक सद्भाव बनाए रखना: धार्मिक परिवर्तन को नियंत्रित करना विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को रोकने और सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है।

धर्म परिवर्तन गिरोहों पर रोक: यह कानून धोखाधड़ी करने वाले संगठनों और धर्म परिवर्तन के अवैध नेटवर्क को हतोत्साहित करता है।

जिम्मेदारी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता: यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता को **संतुलित दृष्टिकोण** से सुरक्षित रखते हुए सुनिश्चित करता है कि धर्म परिवर्तन **नैतिक और पारदर्शी** तरीके से हो।

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि वार्ता गतिरोध पर / Global plastic pollution treaty negotiations at impasse

संदर्भ:

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए प्रस्तावित ऐतिहासिक संधि पर सहमति बनाने की कोशिशें असफल रहीं। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में 185 देशों के प्रतिनिधि 11 दिनों तक लगातार वार्ता में जुटे रहे, लेकिन अंततः कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

पृष्ठभूमि:

- **स्थान**: जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र केंद्र
- **उद्देश्य**: महासागरों समेत विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पहली **कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि** बनाना।
- **स्थिति**: अंतिम दौर की वार्ता भी बिना किसी समझौते के समाप्त।
- **पिछला संदर्भ**: पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में हुई बैठक भी असफल रही थी।

प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि के प्रयास विफलत के कारण:

मुख्य विवाद के मुद्दे-

1. **नए प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा**
   - पक्ष में: कई देश व पर्यावरण संगठन – कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान की मांग।
   - विरोध में: तेल उत्पादक देश और अमेरिका (ट्रंप प्रशासन के तहत) – इसे घटते ईंधन मांग की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण बाजार मानते हैं।
2. **संधि का फोकस**: तेल उत्पादक देशों का मत: उत्पादन सीमित करने के बजाय **कचरा प्रबंधन** और **पुनर्चक्रण** पर ध्यान।
3. **नवीनतम मसौदे पर आलोचना**
   - कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों की कमी।
   - प्लास्टिक उत्पादन सीमा से संबंधित अनुच्छेद हटाए गए।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

- **फ्रांस** – पारिस्थितिकी मंत्री एग्नेस पनियर-रुनाशे: परिणामों की कमी को "क्रोध पैदा करने वाला" बताया।
- **यूरोपीय संघ** – डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री मैग्नस होनिके: कुछ देशों पर समझौता रोकने का आरोप।
- **पनामा** — प्रतिनिधि जुआन कार्लोस मोंटेरे गोमेज़: मसौदा "समर्पण" जैसा।
- **माइक्रोनेशिया** – वार्ताकार डेनिस क्लेयर: "एक कदम पीछे"।
- **वार्ता अध्यक्ष** — लुइस वायस वाल्डिविएसो: भविष्य के समझौते के लिए लंबित मुद्दों के महत्व पर जोर।

ग्लोबल प्लास्टिक संधि की आवश्यकता

प्लास्टिक उत्पादन में तेज़ वृद्धि:

- 2000 ⟶ 234 मिलियन टन
- 2019 ⟶ 460 मिलियन टन
- 2040 (अनुमान) ⟶ 700 मिलियन टन

पुनर्चक्रण की स्थिति: केवल **10%** प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रित, शेष पर्यावरण, स्वास्थ्य और जलवायु को नुकसान पहुँचा रहा

संधि का उद्देश्य:

- प्लास्टिक उत्पादन में कमी
- हानिकारक रसायनों का उन्मूलन
- टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए बाध्यकारी लक्ष्य तय करना

मुख्य कारण:

पर्यावरणीय प्रभाव

- लाखों टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में पहुँचकर **समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र** को नुकसान।
- वन्यजीवों को चोट और आवासों का विनाश।
- विघटन में 20-500 वर्ष का समय।
- 2023 तक केवल **10%** कचरे का पुनर्चक्रण

मानव स्वास्थ्य

- सूक्ष्म प्लास्टिक पीने के पानी, भोजन और हवा में पाए गए।
- हानिकारक रसायनों के वाहक, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।

आर्थिक लागत

- पर्यटन, मत्स्य उद्योग और सफाई कार्यों पर भारी आर्थिक बोझ।
- हर साल अरबों डॉलर का नुकसान।

सतत विकास: टिकाऊ उत्पादन व उपभोग, कचरे में कमी और **सर्कुलर इकोनॉमी** को बढ़ावा देना आवश्यक।

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए जरूरी।

वैश्विक सहयोग: प्लास्टिक प्रदूषण **सीमाहीन समस्या**, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **समन्वित कार्रवाई** ज़रूरी।

- साझा ढांचा, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और समाधान लागू करने का अवसर।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ाव: 2020 में प्लास्टिक का योगदान वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **3.6%**।

- 2050 तक इसमें **20% वृद्धि** की संभावना

प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान की गई घोषणाएँ / Announcements made by Prime Minister during I-Day Address

संदर्भ:

आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और अपने भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए।

प्रधानमंत्री की प्रमुख घोषणाएँ – मुख्य बिंदु:

1. सेमीकंडक्टर – मिशन मोड में

- लक्ष्य: इस वर्ष के अंत तक पहला 'मेड इन इंडिया' चिप तैयार।
- महत्व: आयात पर निर्भरता में कमी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के अनुरूप।

2. परमाणु ऊर्जा विस्तार

- योजना: 10 नए परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन।
- लक्ष्य: 2047 तक परमाणु क्षमता में 10 गुना वृद्धि।
- लाभ: नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य में योगदान और ऊर्जा सुरक्षा।

3. जीएसटी सुधार

- दिवाली पर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होंगे।
- फोकस: आवश्यक वस्तुओं पर कर में कमी, एमएसएमई और स्थानीय विक्रेताओं को राहत।
- उद्देश्य: कर प्रणाली का सरलीकरण और 'Ease of Doing Business' को बढ़ावा।

4. भारत सुधार टास्क फोर्स

- नई टास्क फोर्स का गठन।
- मंतव्य: तेज आर्थिक विकास, नौकरशाही अड़चनों में कमी, शासन का आधुनिकीकरण।

5. पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

- बजट: ₹1 लाख करोड़।
- लाभ: नए नियुक्त युवाओं को ₹15,000 प्रत्यक्ष सहायता।
- कवरेज: लगभग 3 करोड़ युवा।
- उद्देश्य: रोजगार सृजन और आर्थिक प्रोत्साहन।

6. उच्च-शक्ति जनसांख्यिकी मिशन

- मुद्दा: घुसपैठ और अवैध प्रवासन से उत्पन्न जनसांख्यिकीय असंतुलन।
- लक्ष्य: राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा।

7. ऊर्जा स्वतंत्रता – 'समुद्र मंथन'

- राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन से समुद्री ऊर्जा संसाधनों का दोहन।
- सौर, हाइड्रोजन, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा का विस्तार।
- उद्देश्य: जीवाश्म ईंधन आयात बिल में कमी।

8. 'मेड इन इंडिया' जेट इंजन – राष्ट्रीय चुनौती

- स्वदेशी जेट इंजन निर्माण का आह्वान।
- प्रेरणा: COVID-19 वैक्सीन और UPI जैसी सफलताएँ।
- उद्देश्य: रक्षा विनिर्माण में रणनीतिक आत्मनिर्भरता।

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन –

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से **लगातार 12वीं बार** तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया।
- इस बार का भाषण **103 मिनट** का रहा, जो अब तक का **सबसे लंबा** स्वतंत्रता दिवस संबोधन है।
- शुरुआत **ऑपरेशन सिंदूर** से की, साथ ही आतंकवाद, सिंधु जल संधि, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठ पर भी विचार रखे।

सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड:

- 2015 में 88 मिनट का भाषण देकर जवाहरलाल नेहरू (72 मिनट) का रिकॉर्ड तोड़ा।
- इसके बाद कई बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा।
- 2025 में 103 मिनट का भाषण देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया।

लगातार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड:

- पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया।
- अब तक यह उपलब्धि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के पास थी (लगातार 17 बार)।

निर्यात संवर्धन मिशन योजनाएँ / Export Promotion Mission Plans

संदर्भ:

अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर बढ़ाए गए टैरिफ के जवाब में सरकार अपने पहले के *निर्यात संवर्धन मिशन* की योजनाओं में संशोधन कर रही है, ताकि ध्यान अधिकतर विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित किया जा सके।

निर्यात संवर्धन मिशन –

परिचय:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ₹2,250 करोड़ का आवंटन।
- उद्देश्य: भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, विशेषकर MSMEs के लिए, वित्तपोषण और गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान करना।

मुख्य विशेषताएं:

1. **निर्यात ऋण की उपलब्धता** – निर्यात वित्तपोषण तक आसान और सस्ती पहुंच।
2. **क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता** – विदेशी खरीदारों से प्राप्तियों के प्रबंधन हेतु फैक्टरिंग सुविधा।
3. **गैर-शुल्क बाधाओं में सहायता** – विदेशी तकनीकी, स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में MSMEs की मदद।

क्रियान्वयन मंत्रालय:

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- वित्त मंत्रालय

संशोधित मिशन योजनाएं:

- सबसे प्रभावित क्षेत्रों में MSME उधारकर्ताओं के लिए ऋण लागत कम करना।
- नियामकीय और सीमा शुल्क मंजूरी में तेजी।
- लक्षित निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना।

अमेरिकी शुल्क से प्रभावित क्षेत्र (प्राथमिक फोकस):

- वस्त्र एवं परिधान
- झींगा निर्यातक
- कार्बनिक रसायन
- मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण

नरसंहार / Genocide

संदर्भ:

हाल ही में *एल्डर्स समूह* ने गाज़ा संकट को "तेजी से बढ़ता नरसंहार" करार दिया है। उनके अनुसार, मानवीय सहायता में इज़राइल की बाधा के कारण वहां अकाल जैसी स्थिति और आम नागरिकों की बड़े पैमाने पर पीड़ा उत्पन्न हो रही है।

नरसंहार (Genocide) –

परिभाषा *(1948 संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि के अनुसार)*

नरसंहार वह कृत्य है, जो किसी **राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह** को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया जाए, जिसमें शामिल हैं:

1. समूह के सदस्यों की हत्या करना।
2. गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
3. ऐसे जीवन-परिस्थितियाँ थोपना, जिनसे समूह का भौतिक विनाश हो।
4. जन्म रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना।
5. बच्चों को बलपूर्वक किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करना।

गाज़ा में नरसंहार :

- **सहायता में बाधा:** इजरायल द्वारा खाद्य एवं चिकित्सीय सहायता के प्रवेश पर प्रतिबंध, विशेषकर **मिस्र के रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग** के माध्यम से।
- **मानवीय संकट:** व्यापक अकाल, स्वास्थ्य सेवाओं का पतन, माताओं व नवजातों में गंभीर कुपोषण।
- **नागरिक हताहत:** प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मानवीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे फ़िलिस्तीनी नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल, की हत्या।

बिटकॉइन / Bitcoin

संदर्भ:

बिटकॉइन हाल ही में उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर **$124,002.49** पर पहुंच गया। इसकी प्रमुख वजह अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत क्रिप्टो-फ्रेंडली सुधारों की लहर मानी जा रही है।

बिटकॉइन (Bitcoin) क्या है?

- बिटकॉइन एक **विकेन्द्रीकृत (Decentralised) क्रिप्टोकरेंसी** है, जो ब्लॉकचेन (Blockchain) पर बिना किसी मध्यस्थ (Intermediary) के व्यक्ति-से-व्यक्ति (Peer-to-Peer) लेन-देन को संभव बनाती है।

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)

- क्रिप्टोकरेंसी एक **डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा** होती है, जो सुरक्षा के लिए **क्रिप्टोग्राफी** का उपयोग करती है।
- यह **ब्लॉकचेन तकनीक** पर आधारित विकेन्द्रीकृत नेटवर्क पर काम करती है, जिसे कई कंप्यूटर मिलकर संचालित करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार:

1. **पेमेंट क्रिप्टोकरेंसी (Payment Cryptocurrencies)**
   - इन्हें सीधे व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन-देन के लिए बनाया गया है।
   - उदाहरण: **Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash**
2. **स्टेबलकॉइन:** ये किसी फिएट मुद्रा (जैसे डॉलर) या संपत्ति से जुड़ी होती हैं ताकि उतार-चढ़ाव (Volatility) कम रहे।
   - उदाहरण: **USD Coin, Tether**
3. **यूटिलिटी टोकन्स (Utility Tokens)**
   - इनका उपयोग किसी प्रोडक्ट या सेवा तक पहुँचने के लिए किया जाता है। उदाहरण: **Filecoin (Cloud Storage), Chainlink (Smart Contracts)**
4. **सिक्योरिटी टोकन्स:** ये डिजिटल रूप में किसी निवेश संपत्ति (जैसे शेयर या बॉन्ड) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
5. **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs):** यह किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई फिएट करेंसी का डिजिटल रूप होती है।

फेडरल रिजर्व रेट कट: फेडरल रिजर्व (अमेरिकी केंद्रीय बैंक) जब अपनी **बेंचमार्क ब्याज दर** घटाता है, तो इसे रेट कट कहते हैं।

- इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है, ताकि **कर्ज लेना सस्ता** हो सके और **निवेश व उपभोग** बढ़े।

IN-SPACe

संदर्भ:

पुणे स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप **Astrophel Aerospace** ने हाल ही में अंतरिक्ष विभाग की नोडल एजेंसी **IN-SPACe** के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कंपनी को **ISRO की सुविधाओं तक पहुंच** मिलेगी, जिससे वह अपने **सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन तंत्र** (जिनमें टर्बोपंप और इंजन मॉड्यूल शामिल हैं) के लिए तकनीकी समीक्षा, सिस्टम-स्तरीय परीक्षण और क्वालिफिकेशन सपोर्ट प्राप्त कर सकेगी।

IN-SPACe क्या है?

- **पूरा नाम**: Indian National Space Promotion and Authorization Center (IN-SPACe)
- यह एक **सिंगल विंडो, स्वतंत्र (independent), स्वायत्त (autonomous) एजेंसी** है, जो **Department of Space (DOS)** के अंतर्गत काम करती है।
- इसे **Space Sector Reforms** के बाद बनाया गया, ताकि **private players (निजी कंपनियों)** की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

IN-SPACe की जिम्मेदारियाँ

1. **प्रोत्साहन और अनुमति:** निजी कंपनियों और संस्थानों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुमति और प्रोत्साहन देना।
2. **निगरानी और नियंत्रण:** गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे –
   - **लॉन्च व्हीकल्स (Launch Vehicles)** बनाना
   - **सैटेलाइट (Satellites)** बनाना
   - **स्पेस-बेस्ड सेवाएँ (Space-based Services)** उपलब्ध कराना
   - इन सभी गतिविधियों पर निगरानी रखना।
3. **इन्फ्रास्ट्रक्चर का साझा उपयोग**
   - ISRO और DOS के पास मौजूद **Space Infrastructure** (जैसे लॉन्चिंग साइट्स, ग्राउंड स्टेशन आदि) निजी कंपनियों के साथ साझा करना।
   - साथ ही नए **Space Infrastructure और सुविधाओं** की स्थापना करना।

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- इतिहास
- अर्थव्यवस्था
- भूगोल
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- रोज़ाना लाइव क्लासेस
- साप्ताहिक टेस्ट
- क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- लाइव डाउट सेशन
- रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
BBK
EMI AVAILABLE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR